



# कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर (म.प्र.) 452 008

पंजीकृत - पावती

संख्या/म.प्र./आई.एन./17234/प्रयोज्यता कक्ष/18

दिनांक 14.5.04

प्रति,

मेसर्स गायत्री पेस्ट मेनेजमेंट  
28/10 तलावली चांदा,  
देवास नका, इन्दौर (म.प्र.)

विषय :- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 और उसके अंतर्गत रचित योजनाओं का मेसर्स गायत्री पेस्ट मेनेजमेंट पर लागू होना।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित विवरण/और आपकी स्थापना का भविष्य निधि प्रवर्तन अधिकारी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर स्पष्ट होता है कि :-

(क) विषयांकित स्थापना/फक्ट्री जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 में स्थापनाओं की श्रेणियों/अनुसूची-1 में शामिल एक्सपर्ट सर्विस कार्य में लगी हुई हैं।

(ख) उक्त स्थापना/फक्ट्री में माह/दिनांक 15.3.04 को 20 व्यक्ति कार्यरत हैं। तथा

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 और उसके अंतर्गत रचित योजनाएँ उपरोक्त नामित स्थापना। फक्ट्री इसके मुख्य कार्यालय और इसकी शाखाओं/विभागों पर चाहे वे एक स्थान पर हैं अथवा विभिन्न स्थानों पर हैं। 15.3.04 तारीख से स्थायी/अस्थायी रूप से लागू हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक में परिवर्तन किया जा सकेगा स्थापना के पूर्व रिकार्डों की जाँच होने के पश्चात् स्थायी व्याप्तिका निर्णय लिया जावेगा।

(घ) आपके आवेदन पत्र सं. .... दिनांक ..... के संदर्भ में आपको म.प्र./आई.एन./ ..... मेसर्स ..... की इकाई मानते हुए प्रशासनिक आधार पर कोड सं. म.प्र./आई.एन./ ..... आबंटित किया जाता है। कृपया नोट कर लें कि इससे स्थापना की मूल आवृत्ति प्रभावित नहीं होगी और इसे सभी प्रयोजनों (क्षतिमूल्य आदि) के लिए मूल यूनिट का अनिवार्य अंग माना जाएगा।

(ङ) अधिनियम की धारा 1 (4) के अंतर्गत स्वेच्छिक आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 आपकी स्थापना पर लागू करने के लिए आपके आवेदन-पत्र के संदर्भ में आपकी स्थापना को दिनांक ..... से कोड संख्या म.प्र./आई.एन./ ..... आबंटित की जा रही है, जब तक की कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 1 उपधारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी नहीं हो जाती हैं। कोड संख्या अस्थायी रूप से रहेगी।

2. आपकी स्थापना को जो संख्या म.प्र./आई.एन./ 17234 ..... कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम 1952 और उसके अंतर्गत रचित योजनाओं अर्थात् कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 तथा निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के विभिन्न उपबंधों के अनुपालन के लिए आवंटित किया गया है। यह कोड संख्या इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय अनिवार्य रूप से उद्धृत किया जाना चाहिये।

3. यदि आपने अभी तक अनुपालन नहीं किया हो तो आपको दिनांक 15.3.04 से 12 % दर से कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 तथा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एवं कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के प्रावधानों का अनुपालन करना है।

4. आपको अपने सभी पात्र कर्मचारियों के संबंध में पिछले सभी महीनों 15.3.04 से 30.4.04 तक भविष्य निधि कुल अंशदान एवं प्रशासकीय प्रभार भविष्य निधि खाता क्रमांक 1 व 2 में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का अंशदान खाता क्रमांक 10 में तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना से संबंधित अंशदान एवं प्रशासकीय प्रभार भविष्य निधि खाता क्रमांक 21 एवं 22 में क्रमशः दिनांक तुरंत तक या इससे पूर्व जमा करना है।

नोट : (कृपया अधिक जानकारी हेतु संलग्न अनुदेश देखें एवं पत्र व अनुलग्नकों की प्राप्ति रसीद भिजवाने की व्यवस्था करें)

अनुलग्नक : 1. कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, क.पा.पेंशन योजना 1971/कर्मचारी पेंशन योजना 1995, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना को लागू करने से संबंधित निर्देश।

2. प्रारूप 9, (संशोधित-9) 3 ए, 6ए, 12 ए, 5 "क", 2, 5/10, चालान- 1, 10, 2, 21, 22.

*Sandeep Kumar*  
**Sandeep Kumar**

Assistant Provident Fund Commissioner

मध्य प्रदेश, भविष्य निधि आयोग

कृते/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

क्रमांक/म.प्र./आई.एन./..... /प्रयोज्यता कक्ष/ दिनांक .....

1. श्री ..... भविष्य निधि प्रवर्तन अधिकारी को अनुपालन सुनिश्चित करने एवं उन्हें 30 दिन के अंदर स्थायी व्याप्ति रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं।

2. लेखा अनुभाग ..... यदि इस फेक्ट्री/संस्थापन के पास भविष्य निधि से संबंधित ऐसी राशि है/नहीं है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि को अंतरित किया जाना है। अंशदान रजिस्टर में आवश्यक अभियुक्तियों के साथ नोट करें तथा अनुपालन कि रिपोर्ट प्रवर्तन अनुभाग को प्रेषित करें।

3. प्रवर्तन अनुभाग.....

4. कम्प्यूटर अनुभाग.....

कृते/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर